प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री आर.एल. झंवर, न्यायमूर्ति

दांडिक अपील क्रमांक 1233/1992

अपीलार्थी **नर्मदा प्रसाद दुबे**

बनाम

प्रत्यर्थी **मध्यप्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)**

निर्णय

15 सितंबर, 2009 को सूचीबद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ता. /-
आर.एल. झंवर
न्यायाधीश

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री राजेश्वर लाल झंवर, न्यायमूर्ति

दांडिक अपील संख्या 1233 / 1992

अपीलार्थी/अभियुक्त : नर्मदा प्रसाद दुबे, आयु लगभग 65 वर्ष, पिता स्वर्गीय श्री टीकाराम दुबे; सेवानिवृत्त उप-निरीक्षक पुलिस; (तत्कालीन एसएचओ, पुलिस थाना- बांकीमोंगरा, तहसील कटघोरा, जिला-बिलासपुर) वर्तमान निवासी चेरीताल, दमोहनाका, जबलपुर

बनाम

प्रत्यर्थी : मध्य प्रदेश राज्य, द्वारा विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल, बिलासपुर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपील अंतर्गत धारा 374 (2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 सहपठित धारा 27 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

उपस्थित: श्रीमति मीना शास्त्री, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से

श्री डी. के. ग्वालरे, शासकीय अधिवक्ता राज्य (प्रत्यर्थी) की ओर से

निर्णय

(दिनांक 15/09/2009 को पारित)

1. यह दांडिक अपील न्यायालय विशेष न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा 25 नवंबर, 1992 को विशेष दांडिक प्रकरण क्रमांक 3/1985 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दण्डादेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके अंतर्गत विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 161 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5

(1) (डी) सहपठित धारा 5 (2) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है। उसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 161 के अंतर्गत 1 वर्ष का कठोर कारावास और ₹1000/- के जुर्माने का दण्डादेश सुनाया गया है, जुर्माना न देने की स्थिति पर 3 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास होगा। इसके साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5 (1) (डी) सहपठित धारा 5 (2) के अंतर्गत 1 वर्ष का कठोर कारावास और ₹1000/- के जुर्माने का दण्डादेश सुनाया गया है, जुर्माना न देने की स्थिति पर 3 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इसके अतिरिक्त दोनों दण्डादेश साथ-साथ चलेंगे।

2. संक्षेप में अभियोजन की कहानी इसप्रकार है कि, दिनांक 05.11.1982 को खुशाल सिंह (अ. सा. 7) द्वारा एक प्रतिवेदन दर्ज करायी गयी थी कि दिनांक 04.11.1982 को जब वह बुधवार दास के साथ फिल्म देखकर लौट रहे थे, तो उमेद दास पंका द्वारा उन पर चाकू से हमला किया गया था। पुलिस के द्वारा दिनांक 05.11.1982 को रोज़नामचा सान्हा क्रमांक 108 दर्ज किया गया और उसे चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया। चिकित्सकीय प्रतिवेदन मिलने के बाद, पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 324 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया, लेकिन आगे मामले की जांच नहीं की गयी। इसके उपरांत, घायल खुशाल सिंह के भाई वीर सिंह (अ. सा. 2) ने दिनांक 10.11.1982 को अपीलार्थी से संपर्क किया। अपीलार्थी थाना बांकीमोंगरा के प्रभारी के पद पर कार्यरत थे और खुशाल सिंह द्वारा दर्ज मामले की आगे की जांच किये जाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति थे। अपीलार्थी ने मामले में आगे की जांच किये जाने के लिए अवैध परितोषण की मांग की। वीर सिंह ने आयुक्त बिलासपुर के समक्ष शिकायत दर्ज की और उनकी शिकायत के आधार पर, तत्कालीन डीएसपी लोकायुक्त स्वर्गीय श्री सी.पी. शुक्ला द्वारा ट्रैप कार्यवाही किया गया। यह ट्रैप की कार्यवाही साक्षीगण पी.डी. चंदैया (अ. सा. 5), बृज बिहारी मिश्रा (अ. सा. 13), रामायण सिंह (अ. सा. 3), बुधराम (अ. सा. 6), शिवरतन (अ. सा. 8), आर.एस. भोई (अ. सा. 9), शंकर सिंह गौर (अ. सा. 10), आई.बी. सिंह और एम.के. हीराधर (दोनों का परिक्षण नहीं किया गया) की उपस्थिति में आयोजित किया गया था। ट्रैप कार्यवाही में, वीर सिंह से ₹100/- का एक करेंसी नोट लिया गया था और उसे फेनोल्फथेलिन पाउडर से उपचारित किया गया था। नोट का नंबर प्रारंभिक पंचनामा, प्रदर्श-पी-2 पर दर्ज किया गया था, और उसे शिकायतकर्ता के शर्ट की जेब में रखा गया था। उन्होंने शिकायतकर्ता को यह भी निर्देश दिया था कि वह किसी से हाथ न मिलाए और मांग किये जाने पर उक्त करेंसी नोट अपीलार्थी को दे। शिकायतकर्ता को यह भी निर्देश दिया गया था कि अपीलार्थी को पैसे देने के बाद वह अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर रखकर जाल बिछाने वाले अमले को संकेत देगा। सोडियम कार्बोनेट के घोल के साथ फेनोल्फथेलिन पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया का आवश्यक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रदर्शन किया गया और उन घोलों को सीलबंद स्थिति में रखने की आवश्यक औपचारिकताएं भी पूरी की गईं। सम्पूर्ण कार्यवाही शिकायतकर्ता और साक्षियों के हस्ताक्षर के साथ प्रारंभिक पंचनामा, प्रदर्श-पी-2 में दर्ज की गई थी। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ट्रैप कार्यवाही करने वाला दल वीर सिंह के साथ ट्रैप कार्यवाही के लिए गई और बांकीमोंगरा पहुंची।

3. वीर सिंह न्यू पंजाब होटल गए, जहां अपीलार्थी उसका इंतजार कर रहा था। अपीलार्थी द्वारा रिश्वत की मांग की गयी। वीर सिंह ने उसे ₹100/- का उक्त करेंसी नोट दिया, जिसे ट्रैप कार्यवाही करने वाले दल द्वारा दिए जाने के बाद उसने अपनी जेब में रखा था। वीर सिंह के द्वारा संकेत मिलने पर, ट्रैप कार्यवाही करने वाला दल होटल के अंदर प्रवेश किया, उन्होंने अपना परिचय अपीलार्थी को दिया और तलाशी शुरू कर दी। ₹100/- का करेंसी नोट जिसका नंबर 7CQ041967 था, अपीलार्थी की जेब से जब्त किया गया। बरामद नोट के नंबर का पहले से ट्रैप कार्यवाही करने वाला दल द्वारा दर्ज किए गए नंबर से मिलान करने के बाद, यह पाया गया कि अपीलार्थी की जेब से बरामद नोट वही था। अपीलार्थी के हाथ, उसके फुल-पैंट की जेब और करेंसी नोट को अलग किया गया और उन्हें सोडियम कार्बोनेट के रासायनिक घोल में डाला गया जो गुलाबी रंग का हो गया। अन्य आवश्यक रासायनिक औपचारिकताएं भी की गईं। सभी घोलों को सीलबंद कर दिया गया और अंतिम पंचनामा अर्थात प्रदर्श-पी-4 दर्ज किया गया और साक्षियों की उपस्थिति में जब्ती पत्रक प्रदर्श-पी-5 के अनुसार ₹100/- का नोट जब्त किया गया। पंचनामा प्रदर्श-पी-4, पी.डी. चंदैया (अ. सा. 5), बृज बिहारी मिश्रा (अ. सा. 13), रामायण सिंह (अ. सा. 3), बुधराम (अ. सा. 6), शिवरतन (अ. सा. 8), आर.एस. भोई (अ. सा. 9), शंकर सिंह गौर (अ. सा. 10) और शिकायतकर्ता वीर सिंह (अ. सा. 2) की उपस्थिति में तैयार किया गया है। स्वर्गीय श्री सी.पी. शुक्ला, डीएसपी लोकायुक्त ने भी मौके पर बिना नंबर वाली प्राथमिकी (देहातीनालिसी, प्रदर्श-पी-6) दर्ज की थी। दुर्भाग्य से, जांच समाप्त होने से पहले ही श्री सी.पी. शुक्ला, डीएसपी लोकायुक्त का निधन हो गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. एस.पी. द्वारा दिए गए मौखिक निर्देशों के आधार पर, मामले की आगे की जांच निरीक्षक (सतर्कता) शंकर सिंह गौर (अ. सा. 10) द्वारा की गई, जिन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत कुछ साक्षियों के कथन दर्ज किए और जांच पूरी की। जांच पूरी होने के उपरांत और सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के उपरांत, विशेष न्यायाधीश, बिलासपुर के समक्ष न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

5. विशेष न्यायाधीश, बिलासपुर ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 161 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5 (1) (डी) सहपठित धारा 5 (2) के अंतर्गत अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप विरचित किए, जिसे अपीलार्थी को पढ़कर सुनाया गया और समझाया गया। अपीलार्थी ने अपराध स्वीकार नहीं किया और कहा कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

6. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन और बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्षियों पर विचार किया और दोनों पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों पर भी विचार किया, और उसके बाद अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर अवलंब करते हुए, यह माना कि अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता वीर सिंह (अ. सा. 2) से ₹100/- की रिश्वत मांगी और प्राप्त की। यह राशि उसने वीर सिंह के भाई खुशाल सिंह द्वारा दर्ज की गई प्रतिवेदन पर आगे की कार्यवाही करने के लिए प्राप्त की थी। विद्वान विचारण न्यायालय ने तदनुसार अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 161 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5 (1) (डी) सहपठित धारा 5 (2) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया। उसके बाद, उसने अपीलार्थी को उपरोक्त अनुसार दोषी ठहराया और दंडित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. मैंने दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया है।

8. अपीलार्थी का पहला तर्क यह है कि विवेचना शंकर सिंह गौर (अ. सा. 10) द्वारा आयोजित की गई है, जिन्हें जांच करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था। इसलिए, पूरी कार्यवाही दूषित है और अपीलार्थी दोषमुक्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने (जगन एम. शेषाद्री बनाम तमिलनाडु राज्य), प्रकाशित **ए.आई.आर. 2002 सुप्रीम कोर्ट 2399**, (राजेंद्र जोंको बनाम पुलिस अधीक्षक, सीबीआई, मुंबई और अन्य), प्रकाशित **2004 क्रि. एल.जे. 3703** और (पंजाब राज्य बनाम सोहन सिंह), प्रकाशित **2009 ए.आई.आर. एस.सी.डब्लू. 3386** पर अवलंब किया।

9. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता का यह कहना है कि जांच का अधिकांश हिस्सा अधिकृत अधिकारी स्वर्गीय श्री सी.पी. शुक्ला, तत्कालीन डीएसपी लोकायुक्त द्वारा आयोजित किया गया है। उनकी मृत्यु के बाद कुछ औपचारिकताएं एस.पी. के मौखिक निर्देश पर शंकर सिंह गौर (अ. सा. 10) द्वारा की गई हैं, इसलिए कार्यवाही दूषित नहीं हुई है।

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस तरह की परिस्थितियों से निपटते हुए मेजर बी.जी. बारसे बनाम बंबई राज्य, प्रकाशित **(1962) 2 एस.सी.आर. 195: (ए.आई.आर. 1961 एस.सी. 1762);** मुन्ना लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, प्रकाशित **(1964) 3 एस.सी.आर. 88 (ए.आई.आर. 1964 SC 28);** खांडू सोनू धोबी बनाम महाराष्ट्र राज्य, प्रकाशित **(1972) 3 एस.सी.आर. 510 (ए.आई.आर. 1972 एस.सी. 958)** के मामलों में यह अवलंब लिया है कि हालांकि, अधिनियम की धारा 5 (क) अनिवार्य है न कि निर्देशात्मक, इसलिए इसके उल्लंघन में की गई जांच अवैध है, लेकिन जांच के दौरान की गई ऐसी अवैधता प्रकरण के विचारण के सम्बन्ध में न्यायालय की सक्षमता और क्षेत्राधिकार को प्रभावित नहीं करती है। और भले ही, ऐसी जांच पर अवैधता की मोहर क्यूँ न लगी हुई हो, पर ऐसे प्रकरण के विचारण को तब तक दूषित नहीं करती जब तक कि आरोपी के विरुद्ध न्याय का घोर उल्लंघन न हुआ हो। वर्तमान प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (जगन एम. शेषाद्री बनाम तमिलनाडु राज्य), प्रकाशित **ए.आई.आर. 2002 सुप्रीम कोर्ट 2399,** (राजेंद्र जोंको बनाम पुलिस अधीक्षक, सीबीआई, मुंबई और अन्य) प्रकशित **2004 क्रि. एल. जे. 3703** के मामलों में निर्धारित कानून में अंतर है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. यहां वर्तमान प्रकरण में, अपीलार्थी ने मुकदमे के अंतिम चरण में शंकर सिंह गौर (अ. सा. 10) निरीक्षक से प्रतिपरीक्षण करते हुए, मामले की जांच करने की उनकी क्षमता के बारे में सवाल किया है। उनके साक्ष्य से, यह स्पष्ट है कि ट्रैप की कार्यवाही अधिकृत पुलिस अधिकारी स्वर्गीय श्री सी.पी. शुक्ला, डीएसपी लोकायुक्त द्वारा किया गया था। ट्रैप कार्यवाही के उपरांत, यहां तक कि महत्वपूर्ण साक्षियों की जांच और उनके कथन स्वर्गीय श्री सी.पी. शुक्ला द्वारा दर्ज किए गए हैं। उनके कथन से, यह भी स्पष्ट है कि श्री सी.पी. शुक्ला के निधन के उपरांत कुछ साक्षियों के कथन उनके द्वारा दर्ज किए गए हैं, जो कि एस.पी. के निर्देश पर हुआ है। उनके कथन से, यह भी स्पष्ट है कि पूरी ट्रैप कार्यवाही अधिकृत अधिकारी अर्थात स्वर्गीय सी.पी. शुक्ला, डी.एस.पी. द्वारा किया गया था और उसके बाद जांच का पर्याप्त हिस्सा उनके द्वारा किया गया है। जांच का केवल कुछ हिस्सा ही शंकर सिंह, (अ. सा. 10) द्वारा किया गया है।

12. सभी अभियोजन पक्ष के साक्षियों के कथनों के अवलोकन से, ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता है जिससे यह सिद्ध हो सके कि निरीक्षक शंकर सिंह (अ. सा. 10) द्वारा प्रकरण के एक हिस्से का जांच किये जाने के परिणामस्वरूप अपीलार्थी को किसीप्रकार का पूर्वाग्रह कारित हुआ हो। यहां तक कि अपीलार्थी ने अपने बचाव में भी कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं की कि शंकर सिंह (अ. सा. 10) द्वारा मामले के एक हिस्से की जांच किये जाने के कारण उसे कोई

पूर्वाग्रह कारित हुआ है। मामले की विचारण के दौरान साक्षियों की सत्यता का परीक्षण करने के लिए अपीलार्थी ने शंकर सिंह (अ. सा. 10), पी.डी. चंदैया (अ. सा. 5), वीर सिंह (अ. सा. 2), बृज बिहारी मिश्रा (अ. सा. 13), खुशाल सिंह (अ. सा. 7), बुधराम (अ. सा. 6) के कथनों का प्रयोग किया, जो स्वर्गीय श्री सी.पी. शुक्ला द्वारा दर्ज किए गए थे जो जांच करने के लिए अधिकृत अधिकारी थे। अपीलार्थी ने साक्षियों की सत्यता का परीक्षण करने के लिए शंकर सिंह (अ. सा. 10) द्वारा दर्ज किए गए साक्षियों के कथनों का भी प्रयोग किया। अपीलार्थी के आचरण से ही यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने प्रकरण के विचारण के दौरान बिना किसी पूर्वाग्रह की शिकायत किए जांच में उपलब्ध साक्षियों का अपने बचाव के अधिकार के रूप में प्रयोग किया है।

13. सम्पूर्ण अभिलेख और उपरोक्त चर्चा के अवलोकन उपरांत, मेरे यह विचार है कि जांच का सारवान हिस्सा स्वर्गीय श्री सी.पी. शुक्ला, अधिकृत डी.एस.पी., लोकायुक्त द्वारा किया गया है और जांच का केवल मामूली हिस्सा शंकर सिंह (अ. सा. 10) द्वारा एस.पी. के निर्देश पर किया गया है, वह भी सी.पी. शुक्ला की मृत्यु के बाद। अपीलार्थी पूरे मामले के विचारण के दौरान यह स्थापित करने के लिए कोई भी पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं करा सका जिससे यह सिद्ध हो सके कि उसे कोई पूर्वाग्रह कारित हुआ है या किसी प्रकार से न्याय का उल्लंघन हुआ है। पूर्वाग्रह या न्याय के उल्लंघन की अनुपस्थिति में, विचारण न्यायालय द्वारा संपन्न किया गया विचारण दूषित नहीं होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि, हालांकि 1947 के अधिनियम को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संक्षेप में "1988 का अधिनियम") की धारा 30 द्वारा निरस्त कर दिया गया है, फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा मामले के आदेश दिनांक अर्थात 25.11.1992 तक प्रकरण को जारी रखा, इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दण्ड का आदेश क्षेत्राधिकार के बिना था। दूसरी ओर राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि निरसन खंड और सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 कार्यवाही की दूषित होने से रक्षा करती है।

15. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 30 यहां पुनः प्रस्तुत की गई है:-

30 निरसन और व्यावृत्ति (1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (1947 का 2) और दांडिक कानून संशोधन अधिनियम, 1952 (1952 का 46) निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, किन्तु साधारण खंड अधिनियम, 1987 (1897 का 10) की धारा 6 के लागू होने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इसप्रकार निरसन अधिनियमों के अधीन या उसके अनुसरण में कि गयी या किया जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या

कोई कार्यवाही, जहां तक वह इस अधिनियम के प्रावधानों के उपबंधों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन या उनके अनुसरण में कि गयी बात या कार्यवाही समझी जाएगी।

16. साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 यहां पुनः प्रस्तुत की गई है:-

6, निरसन का प्रभाव – जहां कि यह अधिनियम, या इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद बनाया गया कोई [केंद्रीय अधिनियम] या विनियमन, अब तक बनाए गए या एतदपश्चात बनाए जाने वाले किसी भी अधिनियम को निरसित कर देता है, वहां, जब तक कि भिन्न आशय न हो, वह निरसन –

(क) उस निरसन के प्रभावशील होने के समय अप्रवृत्त या अविद्यमान किसी बात को, पुनरुज्जीवित नहीं करेगा: अथवा

(ख) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के पूर्व प्रवर्तन पर अथवा तद्धीन सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई किसी बात पर प्रभाव नहीं डालेगा अथवा

(ग) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन अर्जित, प्रोद्भुत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगा। अथवा

(घ) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के विरुद्ध किए गए किसी अपराध की बाबत उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड पर प्रभाव नहीं डालेगा: अथवा

(ङ) किसी यथा पूर्वोक्त ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के बारे में के किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नहीं डालेगा,

और ऐसा कोई भी जाँच, विधिक कार्यवाही या उपचार इस प्रकार संस्थित, निरंतर या प्रवर्तनशील रखा जा सकेगा और ऐसी कोई भी शास्ति, समपहरण या दण्ड इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकेगा जैसे वह निरसन करने वाला अधिनियम पारित ही न हुआ था।

17. उपरोक्त दोनों प्रावधानों को एक साथ पढ़ने से, यह स्पष्ट होता है कि, यदि कोई जांच या कानूनी कार्यवाही पूर्व में जारी अधिनियम अर्थात 1947 के अधिनियम के अंतर्गत संस्थित की गई है, तो वह जारी रहेगी और दोषसिद्धि पर दण्डादेश दिया जा सकता है मानो जैसे निरस्त किया गया अधिनियम पारित ही नहीं हुआ हो। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा 1987 से पहले अर्थात 1988 के अधिनियम के लागू किये जाने के पूर्व ही आरोप विरचित किए हैं और सभी अभियोजन पक्ष के साक्षियों के कथन दर्ज किए हैं। उपरोक्त चर्चा से, मैं इस विचार पर पहुंचा हूं कि पूर्व के अधिनियम के अंतर्गत आयोजित किया गया प्रकरण पूर्व के अधिनियम अर्थात 1947 के अधिनियम के अनुसार पूरी तरह से समाप्त हो गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

18. अपीलार्थी द्वार इसके अतिरिक्त यह तर्क दिया गया है कि उसने अपीलार्थी के भाई की प्रतिवेदन पर पहले ही रोज़नामचा सान्हा, प्रदर्श-पी-14 पर कार्यवाही शुरू कर दी थी, इसलिए अवैध परितोषण की मांग का सवाल ही नहीं उठता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तर्क पर विस्तार से विचार किया गया है और अपना निष्कर्ष अभिलिखित किया गया है, जिसमें उसने उपरोक्त बचाव पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अपीलार्थी ने दस्तावेजों रोज़नामचा सान्हा, प्रदर्श-पी-12, 13 और 14 का सहारा लिया है। इन दस्तावेजों का अवलोकन करने से, यह स्पष्ट होता है कि खुशाल सिंह ने उमेद दास के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी। खुशाल सिंह का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया और पुलिस ने दिनांक 09.11.1982 को अपराध पंजीबद्ध किया था, लेकिन आरोपी को न तो गिरफ्तार किया गया और न ही आगे की जांच की गई थी। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी, जो पुलिस थाना-बांकीमोंगरा का प्रभारी था, को अवैध परितोषण की मांग करने का कोई अवसर नहीं मिला। इस प्रकार, मुझे इस मामले पर विचारण न्यायालय द्वारा उल्लेखित निष्कर्ष पर हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं मिली।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. अंतिम रूप से, अपीलार्थी द्वारा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्षियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया गया है। अपीलार्थी का यह तर्क है कि साक्षियों द्वारा अपने पूर्व के कथनों में विरोधाभास और चूक की गयी है, इसलिए उन साक्षियों के कथन विश्वसनीय नहीं थे। दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस तर्क के विरोध में यह प्रस्तुत किया गया है कि, यह स्थापित सिद्धांत है कि मामूली विरोधाभास साक्षियों की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करते हैं।

20. यह मामला ट्रैप कार्यवाही पर आधारित है और ट्रैप कार्यवाही वैज्ञानिक विधि जो इस हेतु विहित है के अनुसार किया गया था।

21. साक्षीगण पी.डी. चंदैया (अ. सा. 5), वीर सिंह (अ. सा. 2), बृज बिहारी मिश्रा (अ. सा. 13), खुशाल सिंह (अ. सा. 7), बुधराम (अ. सा. 6) के कथनों से, यह स्पष्ट होता है कि मांग की गई थी और वीर सिंह द्वारा आवश्यक शिकायत दर्ज की गई थी। जाल बिछाया गया और फेनोल्फथेलिन पाउडर लगाये जाने के बाद ₹100/- का करेंसी नोट आवश्यक निर्देश के साथ वीर सिंह की जेब के अंदर रखा गया। वीर सिंह मौके पर गए और जब अपीलार्थी द्वारा मांग की गयी, तो उन्होंने उक्त नोट निकाला और उसे अपीलार्थी को दे दिया, उसके पश्चात ट्रैप कार्यवाही करने वाली पार्टी को संकेत दिया। ट्रैप कार्यवाही करने वाली पार्टी ने तुरंत अपीलार्थी को हिरासत में ले लिया और उससे ₹100/- बरामद किए। फिर इसे सोडियम कार्बोनेट के

घोल में डाला गया और अपीलार्थी और शिकायतकर्ता के हाथों को भी घोल में धोया गया, घोल गुलाबी रंग का हो गया। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी किये जाने के उपरांत, पंचनामा तैयार किया गया और प्रतिवेदन दर्ज की गई। ₹100/- के करेंसी नोट पर फेनोल्फथेलिन पाउडर लगाये जाने के बाद और जब इसे शिकायतकर्ता की जेब के अंदर रखा गया, इसका नंबर प्रारंभिक पंचनामा पर लिखा गया। अपीलार्थी से नोट की बरामदगी पर, नोट के नंबर का मिलान किया गया और यह पाया गया कि नोट का नंबर वही था।

22. जहां तक विरोधाभास और चूक का संबंध है, सभी साक्षियों के कथनों के अवलोकन उपरांत, मेरा यह विचार है कि वह विरोधाभास और चूक किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर नहीं हैं। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा चूक और विरोधाभासों पर विस्तार से विचार किया गया है और यह निष्कर्ष दिया गया है कि वह चूक और विरोधाभास महत्वपूर्ण नहीं हैं। साक्षियों के कथनों के अवलोकन उपरांत, मुझे उनके कथनों को अविश्वसनीय मानने के लिए कोई सारभूत सामग्री नहीं प्राप्त हुई है। साक्षियों के कथनों से, यह साबित हो गया कि नोट पर फेनोल्फथेलिन पाउडर लगाया गया था और इसका उपयोग ट्रैप कार्यवाही के लिए किया गया था और वही नोट अपीलार्थी की जेब से बरामद किया गया है। साक्ष्य से, यह भी साबित हो गया है कि अपीलार्थी ने अवैध परितोषण की मांग की, और इसलिए, उक्त नोट उसे दिया गया और वही उसकी जेब से बरामद किया गया है। यहां वर्तमान मामले में न केवल मौखिक साक्ष्य हैं, बल्कि उन मौखिक साक्षियों को दस्तावेजी साक्ष्य और अपीलार्थी से प्राप्त पैसे की वसूली से भी पुष्टि की गयी है जिसका उपयोग ट्रैप की कार्यवाही में किया गया था। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पूरी तरह से विश्वसनीय थे और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सही ढंग से उनका मूल्यांकन भी किया गया है और उन साक्षियों पर अवलम्बन करते हुए सही ढंग से अपना निष्कर्ष दर्ज किया है। इसके अतिरिक्त उभय पक्षकारों द्वारा कोई अन्य तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

23. परिणामस्वरूप, अपील सारहीन होने के कारणवश अपास्त किये जाने योग्य है और तदनुसार इसे अपास्त किया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि और दण्डादेश को स्थिर रखा जाता है।

हस्ता. /-

आर.एल. झंवर

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में आदेश का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **आदेश का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ...... Ujjwal Choubey**......**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur